कार्यालय उ.प्र. लोक सेवा आयोग,
संख्या–3-2/03/ई–5/स्टा0 नर्स ऐलो0 मु0/2023–24
प्रयागराज, दिनांकः 29 जून, 2026

विज्ञप्ति

स्टाफ नर्स एलोपैथ (पुरूष/महिला) परीक्षा–2023 में विज्ञप्ति सं0 15(अ)/03/सी/सी–4/6/2024–25, दिनांक 23.06.2026 के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग उ0प्र0 में स्टाफ नर्स पुरुष शाखा के अन्तर्गत कुल 03 तथा स्टाफ नर्स महिला शाखा के अन्तर्गत कुल 06 अभ्यर्थियों को औपबन्धिक रूप से सफल घोषित किया गया है। उक्त सफल घोषित अभ्यर्थियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उनका अभिलेख सत्यापन आयोग कार्यालय में नियत तिथि को सम्पन्न किया जाएगा, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

क्र.	शाखा का नाम	सफल घोषित अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक	दिनांक	समय
1	स्टाफ नर्स (महिला)	022009, 031962, 047817, 060603, 065446 व 082916 (कुल अभ्यर्थी 06)	10.07.2026	प्रातः 09.30 बजे से
2	स्टाफ नर्स (पुरूष)	001907, 083015 व 083103 (कुल अभ्यर्थी 03)	10.07.2026	प्रातः 09.30 बजे से

2. उक्त सफल घोषित अभ्यर्थीगण को पूर्व में भरे गये ऑनलाइन फार्म सेट यथा–आवेदन पत्र, प्रमाणीकरण प्रपत्र, देशना प्रपत्र व अंकतालिका विवरण को सत्यापन के समय आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। अभ्यर्थीगण समस्त शैक्षिक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियों के 02 सेट, राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित 02 फोटो तथा 03 अप्रमाणित फोटो अर्थात कुल 05 फोटो सहित नियत तिथि को पूर्वान्ह 9.30 बजे आयोग परिसर, प्रयागराज में पहुँचना सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थीगण अभिलेख सत्यापन के समय शैक्षिक अर्हताओं से सम्बन्धित समस्त अंकतालिकाओं/उपाधियों, संविदा के आधार पर कार्य करने संबंधी अनुभव प्रमाण–पत्र एवं आरक्षण संबंधी प्रमाण–पत्रों, की मूल प्रतियाँ भी अपने साथ अवश्य लाएं।

3. अभ्यर्थीगण को आयोग कार्यालय में अभिलेख सत्यापन के समय निम्नलिखित अंक पत्र/प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है–

1. हाईस्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण–पत्र।
2. इण्टरमीडिएट अंक पत्र एवं प्रमाण–पत्र।
3. बी0एस0सी0 (नर्सिंग) का अंक पत्र एवं डिग्री या जी.एन.एम. अंक पत्र एवं डिप्लोमा प्रमाण–पत्र या साइक्रियाट्री में डिप्लोमा अंक पत्र व प्रमाण–पत्र।
4. उत्तर प्रदेश नर्सेज एण्ड मिडवाइव्स काउन्सिल रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र।
5. संविदा के आधार पर कार्य करने संबंधी अनुभव प्रमाण–पत्र।
6. अन्य शैक्षिक अर्हता संबंधी अंक पत्र एवं प्रमाण–पत्र।
7. उ0प्र0 के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को दावे के समर्थन में निर्धारित नवीनतम प्रारूप पर जारी किया गया जाति प्रमाण–पत्र/अन्य प्रमाण–पत्र।
8. सरकारी सेवक/कार्मिक की स्थिति में सेवायोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र मूल रूप में।
9. नाम में भिन्नता के संबंध में शपथ–पत्र मूल रूप में।

नोटः–

1. अभ्यर्थीगण निर्धारित तिथि एवं समय पर अभिलेख सत्यापन हेतु अवश्य उपस्थित हों।
2. संविदा के आधार पर कार्य करने संबंधी अनुभव का मूल प्रमाण–पत्र जो विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत हो, अभ्यर्थी अवश्य प्रस्तुत करें।
3. अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्रों/अभिलेखों से यदि ऐसा पाया जाता है कि वे पद हेतु विज्ञापित अनिवार्य अर्हताएं धारित नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन/चयन निरस्त कर दिया जाएगा।

(राजेश कुमार)
उपसचिव।